न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई आर.ए.एस.

रसद विविध :: 275 / 2018 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2018 / 00380 ::

प्रार्थी :–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, रानी

बनाम

अप्रार्थीः–
नाथुसिंह पुत्र मोहनसिंह निवासी जामूडा बोरी माता, सोजत रोड़, हाल मालिक मैसर्स आशीर्वाद होटल, सोजत रोड़, जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 31/12/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. आशीर्वाद होटल, सोजत रोड जिला पाली (राज.) वक्त निरीक्षण दिनांक 10.07.2018 को मौके पर 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) आइओसीएल कम्पनी के जिनमें क्रमशः 19.000 किग्रा एवं 19.700 किग्रा गैस भरी हुई तथा 1 रिलाइन्स कम्पनी को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 18.500 किग्रा) जिसमें 21.000 किग्रा गैस भरी हुई का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.07.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु हमराह जिला रसद अधिकारी श्री प्रगोद सीरवी (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ सोजत रोड स्थित मै. आशीर्वाद होटल, सोजत रोड जिला पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री नाथुसिंह पुत्र मोहनसिंह उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) आइओसीएल कम्पनी के जिनमें क्रमशः 19.000 किग्रा एवं 19.700 किग्रा गैस भरी हुई तथा 1 रिलाइन्स कम्पनी को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 18.500 किग्रा) जिसमें 21.000 किग्रा गैस भरी पाया गया। जिनका उपयोग वो खाना बनाने हेतु कर रहा था। अप्रार्थी के पास मात्र एक गैस सिलेण्डर के विधिक दस्तावेज मिले शेष तीन सिलेण्डर के संबंध में अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स सोजत गैस सर्विस के मैनेजर से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सागग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पदमचंद टांक पुत्र सोहनलाल टांक निवासी धोलीवाडी के पास, सोजत सिटी हाल मैनेजर मैसर्स सोजत सिटी को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अति० जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग ले रहा था, जिसके संबंध में उसके पास वक्त निरीक्षण गैस कनेक्शन संबंधी दस्तावेज नहीं थे। इस कारण वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। लेकिन अब वह अपने प्रतिष्ठान पर ही गैस संबंधी दस्तावेज रखेगा। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सिलेण्डर को रिलीज फरमावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी के जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) आइओसीएल कम्पनी के जिनमें क्रमशः 19.000 किग्रा एवं 19.700 किग्रा गैस भरी हुई तथा 1 रिलाइन्स कम्पनी को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 18.500 किग्रा) जिसमें 21.000 किग्रा गैस से भरा हुआ उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स आशीर्वाद होटल, सोजत रोड, जिला पाली (राज.) में पाया गया। प्रार्थी को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से चार व्यावसायिक सिलेण्डर प्राप्त हुए थे, वक्त निरीक्षण अप्रार्थी एक गैस सिलेण्डर के सबंध में दस्तावेज पेश किए तब उसको छोडकर शेष तीन घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त कर दिए। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी के गैस संबंधी दस्तावेज पेश किए उसमें एक गैस सिलेण्डर होना स्पष्ट होता है। लेकिन अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ गैस डायरी की जो प्रति पेश की है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें गैस सिलेण्डर की संख्या दो व राशि 5100/– कर कांट छाट करना स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को अवैध संग्रहण किया है तथा उसका अवैध व्यावसायिक उपयोग कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री नाथुसिंह द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण किए जाने पर 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) आइओसीएल कम्पनी के जिनमें क्रमशः 19.000 किग्रा एवं 19.700 किग्रा गैस भरी हुई तथा 1 रिलाइन्स कम्पनी को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 18.500 किग्रा) जिसमें 21.000 किग्रा गैस भरी हुई पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति जिला कलेक्टर, पाली
अति० जिला कलेक्टर, पाली